संख्या- 69 /2023/3294/नौ-5-2023/001-Com. No- 1704919

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय),
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 13 सितम्बर, 2023

विषय:- राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बलिया में सीवर योजना के सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु रू० 934.78 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कराते हुए उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू० 467.39 लाख अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (नागर), उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय), लखनऊ के पत्र संख्या-149/नागर-1/032-0304प्रया०क्षे०/23, दिनांक 15-04-2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में सीवरेज एवं जल निकासी हेतु व्यवस्था मद के अन्तर्गत जनपद-बलिया में सीवर योजना के सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु **रू० 934.78 लाख** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि **रू० 467.39 लाख (रू० चार करोड़ सड़सठ लाख उन्तालीस हजार मात्र)** अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) तथा विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार /भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाता में नहीं रखी जायेगी।
(2) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए।
(3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाए। स्वीकृत धनराशि का व्यर्वतन किसी भी दिशा में नहीं किया जायेगा।
(4) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
(5) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड -6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चारत ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
(6) स्वीकृत धनराशि का कोई भी अंश किसी पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाता में नहीं रखा जायेगा।
(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
(8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
(9) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(10) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर कार्य का पूर्ण विवरण कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ होने कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेप किया जायेगा।

(13) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को नियमानुसार संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(14) संदर्भित शासनादेश की शर्ते यथावत् लागू रहेंगी।

(15) गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा मानकानुसार कार्य कराने का उत्तरदायित्व उ०प्र० जल निगम(नगरीय) के संबंधित अधिकारियों की होगी।

(16) इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,67,39,000 (रुपये चार करोड़ सड़सठ लाख उनतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2215021070300 सीवरेज एवं जलनिकासी हेतु व्यवस्था **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या – E-9-87-X-2023-24-दिनांक: 26-07-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
13.09.2023

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 69/2023/3294(1)/नौ-5-2023/001-Com. No- 1704919, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, बलिया।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ ।
5- निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
6- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- अधिशासीअधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलिया।
8- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड, लखनऊ/बलिया ।
9- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
11- गार्ड फाईल/ कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
13.09.2023

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-13/09/2023

प्रेषण संख्या:- 69
आवंटन आदेश संख्या:- 001-69-2023-3294-9-5-2023-001-CN-1704919
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
107 - मल - जल सेवाएं
03 - सीवरेज एवं जलनिकासी हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	46739000 341513000	46739000 341513000
	योग	वर्तमान प्रगामी	46739000 341513000	46739000 341513000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चार करोड़ सरसठ लाख उनतालीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चौंतीस करोड़ पन्द्रह लाख तेरह हजार

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव